

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/36

दिनांक: 19/12/2024


अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बालोतरा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बालोतरा	बालोतरा	आवासन मण्डल क्षेत्र (राजस्व ग्राम माजीवाला, खारचों की ढाणी, मेगा आवास योजना (राजस्व ग्राम जसोल) का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 3370 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
( कुमार प्राल गौतम )  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव